

उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-4
संख्या-22/2016/1160/तीस-4-2016-8(2)16
लखनऊ: दिनांक: 04 अगस्त, 2016
अधिसूचना

मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या-59, सन् 1988) की धारा 211 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा-65 और साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या-10 सन् 1897) की धारा-21 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 को संशोधित करने की दृष्टि से जिस नियमावली को बनाने का प्रस्ताव करते हैं, उसका निम्नलिखित प्रारूप उक्त अधिनियम की धारा-212 की उप धारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना संख्या-9/2016/690/तीस-4-016-8(2)16, दिनांक 13 मई, 2016 के अनुसरण में आमंत्रित आपत्तियों एवं सुझावों के पश्चात् उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

संक्षिप्त नाम 1
और प्रारम्भ

नियम 51 (क)
में संशोधन

उत्तर प्रदेश मोटरयान (इक्कीसवों संशोधन) नियमावली, 2016	
(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश मोटरयान (इक्कीसवों संशोधन) नियमावली, 2016 कही जायेगी।	
(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।	
1- उक्त नियमावली में, नियम 51 क, में उप नियम (2) में-	
(क) नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान खण्ड के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात्-	
स्तम्भ-1 विद्यमान उप नियम	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित उप नियम
(iv) किसी भी व्यक्ति द्वारा लिखित रूप में दिये गये आवेदन पत्र पर रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी "पहले आने पर पहले" सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र के साथ अति आकर्षक संख्याओं के लिये 15,000 रुपये, अतिमहत्वपूर्ण संख्याओं के लिये 7,500 रुपये, आकर्षक संख्याओं के लिये 6,000 रुपये और महत्वपूर्ण संख्याओं के लिये 3,000 रुपये के शुल्क के अग्रिम रूप में भुगतान करने पर, जो अधिनियम की धारा 41 की उप धारा (2) के अधीन विहित शुल्क के अतिरिक्त होगा, उप नियम (दो) के अधीन परिवहन आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी रजिस्ट्रीकरण संख्या को आरक्षित कर सकता है और ये आकर्षक संख्याएं एक बार आरक्षित हो जाने पर अन्तरणीय नहीं होगी।	(iv) किसी भी व्यक्ति द्वारा लिखित रूप में दिये गये आवेदन पत्र पर रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी "प्रथम आगत प्रथम पावत" सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र के साथ अतिआकर्षक संख्याओं के लिये 15,000 रुपये, अतिमहत्वपूर्ण संख्याओं के लिये 7,500 रुपये, आकर्षक संख्याओं के लिये 6,000 रुपये और महत्वपूर्ण संख्याओं के लिये 3,000 रुपये के शुल्क के अग्रिम रूप में भुगतान करने पर, जो अधिनियम की धारा 41 की उप धारा (2) के अधीन विहित शुल्क के अतिरिक्त होगा, उप नियम (दो) के अधीन परिवहन आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी रजिस्ट्रीकरण संख्या को आवंटित करेगा, और ये आवंटित संख्याएं एक बार आवंटित हो जाने पर अन्तरणीय नहीं होगी। परन्तु यह कि किसी परिवहन कार्यालय में किसी नये वाहन नीलाम के लिए सीरीज के समस्त अधिसूचित पंजीयन नम्बर प्रथमतः उस कार्यालय में सीरीज प्रारम्भ होने के दिनांक

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

	को प्रातः 10:00 बजे से प्रारम्भ कर सात दिनों तक खुले रहेंगे। इस नीलामी बोलीदाता को उस श्रेणी के लिए निर्धारित फीस से अधिक राशि की बोली लगानी होगी। यदि बोलीदाता की संख्या तीन से कम होती है तो उस स्थिति में पंजीयन नम्बर के लिए नीलामी की प्रक्रिया सात दिनों के लिए और बढ़ा दी जायेगी। इस बढ़ाई हुई अवधि में भी यदि तीन बोलीदाता भाग नहीं लेते हैं तो अधिकतम बोलीदाता को सम्बन्धित नम्बर आवंटित कर दिया जायेगा, चाहे बोलीदाता एक ही क्यों न हो। नीलामी की प्रक्रिया हेतु निर्धारित अवधि में इस प्रक्रिया में नीलाम नहीं होने वाले अधिसूचित पंजीयन नम्बरों का आरक्षण "प्रथम आगत प्रथम पावत" सिद्धान्त के अन्तर्गत अधिनियम की धारा 41 की उप धारा (2) के अधीन विहित शुल्क के अतिरिक्त अधिनियम (2) के अधीन विहित शुल्क के अतिरिक्त अधिनियम (2) में निर्धारित शुल्क का अग्रिम भुगतान कर बुकिंग कराने हेतु आवेदकों के लिये खुले रहेंगे। 2- नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से या "प्रथम आगत प्रथम पावत" के सिद्धान्त पर किसी अधिसूचित पंजीयन नम्बर के आरक्षण की प्रक्रिया तथा तौर-तरीका का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना के द्वारा किया जायेगा।
--	---

आज्ञा से,

(कुमार अरविन्द सिंह देव)

प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-22/2016/1160(1)/तीस-4-2016-8(2)/16 तददिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को दिनांक 04 अगस्त, 2016 के असाधारण गजट के परिशिष्ट, भाग-4, खण्ड (क) (सामान्य परिनियम नियम) में प्रकाशित करवाने तथा प्रकाशित अधिसूचना की 250 प्रतियाँ परिवहन अनुभाग-4, कक्ष संख्या-320, बापू भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(संतोष कुमार रावत)

अनु सचिव।

संख्या-22/2016/1160(2)/तीस-4-2016-8(2)/16 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
- 3- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
- 4- सचिव, भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1-संसद मार्ग, नई दिल्ली।
- 5- अध्यक्ष, स्टेट ट्रांसपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 6- विधायी अनुभाग-1
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संतोष कुमार रावत)

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।